Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding shortage of water in the country - Laid

श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़): देश के सामने पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण करने वाली है। आज देश में सिंचाई और धुलाई तो छोड़ो, पीने के पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। हमने फिजूलखर्च करके मात्र 60 साल में कई लाख वर्षों का पानी बर्बाद कर दिया है। अगर इसी गति से पानी बर्बाद होता रहा तो आने वाले 100 साल बाद लोग पीने के पानी न मिलने से मरने लगेंगे। लगातार हो रही पानी की किल्लत के कई मुख्य कारण हैं।

पहला कारण लगातार जनसंख्या वृद्धि है। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है और क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है, जो कि आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ईमानदारी से देखा जाये तो हमारे देश की क्षमता कुल 35 करोड़ आबादी को झेलने की है क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल में इतनी जनसंख्या के लिए पीने, नहाने, कपड़े धोने, गाड़ियों को धोने और सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कोई ठोस कानून बनाया जाये।

दूसरा कारण मानसून का रूख बदलना है। पिछले लगभग 42 साल से मानसून ने भी अपना रूख बदल दिया है। जो बारिश पहले अरब सागर से चलकर उत्तर पूर्व की ओर आती थी, वह पिछले कुछ सालों से दक्षिण-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने वाली मानसून गुजरात-सिंध (पाकिस्तान), राजस्थान से निकल कर हिमाचल जाते-जाते कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से बारिश कम हो रही है और उसी की वजह से गंगा पर टिहरी बांध, सतलुज पर गोविंद सागर बांध व रावी पर रणजीत सागर बांध भी मानसून के दिनों में भी खाली रहते हैं। बारिश कम होने और नदी-नहरों और बांधों में पानी न होने की वजह से भारत का बहुत बड़ा हिस्सा डार्क जोन घोषित हो चुका है। आज हम नदियों, नहरों का 35प्रतिशत पानी पीने के लिए सप्लाई करते हैं। जब 60 साल में इतना पानी घटा है तो अगले 100 वर्षों में क्या हालात होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। लाखों साल तक प्रयोग होने वाले पानी को हमने जमीन के अंदर से मात्र 60 साल में निकाल लिया, जिसकी वजह से देश के बहुत से खंड डार्क जोन में आ चुके हैं। देश का ज्यादातर हिस्सा ऐसा भी बन चुका है जहां जमीनी पानी 2000 फुट तक नहीं मिलता। पानी की फिजूल खर्ची को रोकने हेतु भी कोई ठोस कदम उठाया जाये। चीन की तरह जनसंख्या को कंट्रोल करने हेतु सिर्फ दो बच्चों का सख्त कानून बनाया जाये।